न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/181/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/531

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री जगराम पुत्र स्व. नारायणसिंह यादव, गांव–गदली की ढाणी, पो. मानका, तहसील–मुण्डावर, जिला–अलवर (राज.)–301401		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

प्रवेश तिथि :: 09.12.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 16.01.2023

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल पर **आवेदन–पत्र दिनांक: 10.10.2022** व आवेदन संख्या 59481020514307 के माध्यम से वित्त विभाग, राज. सरकार को आवेदन प्रस्तुत कर पी.पी.ओ. सं. 166973 की प्रति, रिवाईज पेंशन फिक्सेशन आदि विविध 08 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. वित्त विभाग, राज. सरकार द्वारा प्रश्नगत आवेदन पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,राज. जयपुर को, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,राज. जयपुर द्वारा कोषाधिकारी, अलवर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया।
5. कोषाधिकारी, अलवर से किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक: 06.12.2022 के माध्यम से ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल पर अपील सं. 293611365466077 प्रस्तुत की गई है।
6. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से अपील में आक्षेपित बिन्दुओं के क्रम में संबंधित कार्यालय कोषाधिकारी, अलवर से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए पत्र सं. 178 दिनांक: 16.01.23 के माध्यम से प्रति इस न्यायालय को पृष्ठांकित की गई है।
7. अपीलार्थी के **सूचना आवेदन दिनांक: 10.10.2022 में वांछित सूचना, प्रथम अपील दिनांक: 06.12.2022 में उठाये गये तथ्यों एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण** किया गया।
8. प्रत्यर्थी द्वारा अपील में आक्षेपित बिन्दु के अनुक्रम में संबंधित से सूचना प्राप्त कर (कोषाधिकारी, अलवर पत्र सं. 581 दिनांक: 06.01.2023 मय संलग्नक) बिन्दुवार अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। अपीलार्थी वांछित सूचना के संबंध में कोषाधिकारी, अलवर कार्यालय में संपर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है।
9. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के RTI आवेदन दिनांक: 10.10.22 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर अपीलार्थी के प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त सूचना का प्रेषण किया गया है जो कि लगभग 02 माह से भी अधिक समय पश्चात् विलम्ब से किया गया विनिश्चय है।
10. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को इसके माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में RTI आवेदनों का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में ही विनिश्चय किया जाना सुनिश्चित करावें।
11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. आज दिनांक: 16.01.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)